भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4668

जिसका उत्तर दिनांक 24.03.2021 को दिया जाना है

परिचालनरत परमाणु विद्युत संयंत्रों की संख्या

4668. डॉ. सुजय विखे पाटील :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल :
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार परमाणु विद्युत संयंत्रों/रिएक्टरों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है तथा प्रत्येक संयंत्र/रिएक्टर द्वारा कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन होता है;

(ख) राज्य/वार कितने नए परमाणु विद्युत स्टेशन/रिएक्टर स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा इनसे कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इन नई परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि विनिर्दिष्ट तथा आवंटित की गई तथा कब तक ये संयंत्र/रिएक्टर शुरू तथा परिचालनरत हो जाएंगे;

(घ) क्या देश में स्थापित ये परमाणु रिएक्टर अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु मानक के अनुसार सुरक्षित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परमाणु रिएक्टरों में कराए गए सुरक्षा परीक्षणों की संख्या तथा इन परीक्षणों के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) विवरण अनुलग्नक-क में दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) विवरण अनुलग्नक-ख में दिया गया है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) सभी नाभिकीय विद्युत रिएक्टर नियामक प्राधिकरण अर्थात परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की संहिताओं और दिशा-निर्देशों के अनुसार अभिकल्पित किए जाते हैं जो अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हैं ।

नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की संरक्षा को मॉनीटर करने के लिए एक बहु-आयामी संरक्षा मैकेनिज्म मौजूद है जिसमें न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के अंदर संरक्षा समीक्षा समितियां और नियामक प्राधिकरण अर्थात एईआरबी में संरक्षा समीक्षा समितियां शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवधिक संरक्षा समीक्षाओं, लेखा-परीक्षाओं और निरीक्षणों की व्यवस्था भी की गई है । एईआरबी टीम आवधिक स्ट्रक्चरड ऑन-साइट निरीक्षण भी करती है । इसके अतिरिक्त, एईआरबी द्वारा नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों के द्विवार्षिक शटडाउन के दौरान निरीक्षण और अघोषित निरीक्षण भी किए जाते हैं ।

****

अनुलग्नक-क

राज्य	स्थान	इकाई	क्षमता (MW)	फरवरी-2021 तक, लाइफटाइम वाणिज्यिक उत्पादन (मिलियन इकाइयों में, MU)[$]
महाराष्ट्र	तारापुर	टीएपीएस-1	160	49157
		टीएपीएस-2	160	50702
		टीएपीएस-3	540	53685
		टीएपीएस-4	540	51589
राजस्थान	रावतभाटा	आरएपीएस-1	100	11821
		आरएपीएस-2	200	43367
		आरएपीएस-3	220	32873
		आरएपीएस-4	220	32704
		आरएपीएस-5	220	20165
		आरएपीएस-6	220	17482
उत्तर प्रदेश	नरोरा	एनएपीएस-1	220	36357
		एनएपीएस-2	220	35911
गुजरात	काकरापार	केएपीएस-1	220	32007
		केएपीएस-2	220	33860
कर्नाटक	कैगा	केजीएस-1	220	30528
		केजीएस-2	220	31040
		केजीएस-3	220	19284
		केजीएस-4	220	17406
तमिल नाडु	कल्पाक्कम	एमएपीएस-1	220	34934
		एमएपीएस-2	220	39706
	कुडनकुलम	केकेएनपीपी-1	1000	29879
		केकेएनपीपी-2	1000	17990

[$] *उत्पादन आंकड़ो को निकटतम अंक में पूर्णांक किया गया है ।.*

अनुलग्नक-ख

राज्य	स्थान	परियोजना	क्षमता (MW)	मंजूरी प्राप्त लागत (₹ करोड़ में)	आबंटित बजट आंकलन 2020-21 (₹ करोड़ में)	पूर्ण होने की अनुमानित अवधि
निर्माणाधीन परियोजनाएं						
गुजरात	काकरापार	केएपीपी - 3 तथा 4	2 x 700	11459#	1208	2021/22
राजस्थान	रावतभाटा	आरएपीपी - 7 तथा 8	2 X 700	12320*	1717	2022/23
तमिल नाडु	कुडनकुलम	केकेएनपीपी - 3 तथा 4	2 X1000	39849	6700	2023
	कल्पाक्कम	*पीएफबीआर*[&]	*500*[&]	5677	70	2022
हरियाणा	गोरखपुर	जीएचएवीपी - 1 तथा 2	2 x 700	20594	1575	2026/27
प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय मंजूरी प्राप्त परियोजनाएं						
मध्य प्रदेश	चुटका	चुटका - 1 तथा 2	2 X 700	105000	121	2031 **तक क्रमिक रूप से पूर्ण किया जाना**
कर्नाटक	कैगा	कैगा - 5 तथा 6	2 X 700		81	
राजस्थान	माही बांसवाड़ा	माही बांसवाड़ा - 1 तथा 2	2 X 700		87	
		माही बांसवाड़ा - 3 तथा 4	2 X 700			
हरियाणा	गोरखपुर	जीएचएवीपी - 3 तथा 4	2 X 700		103	
तमिल नाडु	कुडनकुलम	केकेएनपीपी - 5 तथा 6	2 X1000	49621	1430	2026/27

[&] *भाविनी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है ।*

'#' ₹16580 करोड़ तक संशोधन के अधीन

'' ₹. 17079 करोड़ तक संशोधन के अधीन*

* * * * *